प्रारूप–30.3

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कटखन

तहसील–चिन्यालीसौड़, जिला– उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत **बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग** के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (**0.770** हे0 आरक्षित वनभूमि, **0.120** हे0 सिविल सोयम भूमि) अर्थात कुल **0.890** हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कटखन द्वारा दिनांक 28/08/2017 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव किया गया कि ग्राम कटखन के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मोहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.......कटखण
वि0ख0–चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मोहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत कटखण (रामरी)
क्षेत्र पंचायत– चिन्यालीसौड़
जिला– उत्तरकाशी